2025 का विधेयक संख्यांक 197

[दि विकसित भारत—गारंटी फार रोजगार एंड अजिवीका मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी बिल, 2025]

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) विधेयक, 2025

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षितप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

कार्यान्वयन कार्य ढांचा

3. स्कीम के लिए राज्य सरकार कार्यान्वयन कार्य ढांचा ।
4. विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप योजना कार्य ढांचा ।
5. ग्रामीण गृहस्थियों को मजदूरी नियोजन की गारंटी ।
6. व्यस्तम कृषि सीजनों के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना ।
7. प्राकृतिक आपदाओं और असाधारण परिस्थितियों के दौरान शिथिलताएं।

अध्याय 3

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन(ग्रामीण):वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) स्कीम

8. विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन(ग्रामीण):वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) स्कीम ।
9. गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें ।
10. मजदूरी दर ।
11. ग्रामीण बेकारी भत्ते का संदाय ।

अध्याय 4

कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

12. केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ।
13. राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ।
14. राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति ।
15. राज्य स्तरीय संचालन समिति ।

16. स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकारी ।

खंड

17. जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

18. कार्यक्रम अधिकारी ।

19. ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व ।

20. ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा ।

21. स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व ।

अध्याय 5

स्कीम की प्रकृति और निधि सांझा करने का तरीका

22. स्कीम की प्रकृति और निधि सांझा करने का तरीका ।

अध्याय 6

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

23. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ।

24. प्रौद्योगिकी समर्थित पारदर्शिता और लोक उत्तरदायित्व ।

25. शिकायत दूर करने हेतु तंत्र ।

26. लेखाओं की संपरीक्षा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

27. उल्लंघन के लिए शास्ति ।

28. प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

29. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

30. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

31. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

32. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

33. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

34. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

35. नियमों और स्कीमों का रखा जाना ।

36. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

37. निरसन, व्यावृत्ति और संक्रमणकालीन उपबंध ।

पहली अनुसूची

दूसरी अनुसूची

2025 का विधेयक संख्यांक 197

[दि विकसित भारत—गारंटी फार रोजगार एंड अजिवीका मिशन (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी बिल, 2025]

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) विधेयक, 2025

प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए ; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

ऐसे ग्रामीण गृहस्थियों को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं जिसका परिणाम विस्तारित आजीविका सुरक्षा कार्य ढांचे में अधिक प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए उन्हें समर्थ बनाना है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की वर्धित कानूनी मजदूरी गारन्टी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण विकास कार्यढांचे को संरेखित करना ।

और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना प्रचुरता बनाने में लोक संकर्म का समूहन करने के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतप्तिकरण पर फोकस करना जिसमें जल संबंधी संकर्मों कोर ग्रामीण अवसंरचना आजीविका संबद्ध अवसंरचना अत्यंत गंभीर मौसमी घटनाओं को न्यूनीकृत करने के लिए विशेष संकर्मों के माध्यम से जल सुरक्षा पर थीम संबंधी फोकस भी है ।

और चरम कृषि मोसमों के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम की सुविधा देना और ग्रामीण कार्य बल के लिए मजदूर नियोजन गारंटी को ध्यान में रखना ।

और ग्राम पंचायतों की बदलती हुई आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ती के साथ एकीकृत, भूस्थानिक प्रणालियों, डिजिटल लोक अवसंचना, जिला और, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर समूहीकृत ऐसी योजनाओं के साथ, जिला तथा राज्य योजना तंत्रों द्वारा सशक्त, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति प्रेरक योजना को संस्थित करना ।

और व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन, जबाबदेही और नागरिक विनियोजन जिनके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल मोबाइल आधारित कार्य स्थल, मॉनीटरी, वास्तविक समय, प्रबंध सूचना प्रणाली, डैशबोर्ड, सक्रिय लोक प्रकटन और योजना, संपरीक्षाओं तथा कपट जोखिम न्यूनीकरण के लिए कृत्रिम आसूचना का प्रयोग भी हैं, को आधुनिक बनाना ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत— जी राम जी) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, ऐसे राज्य या ऐसे क्षेत्र में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) "आवेदक" से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई सदस्य अभिप्रेत है, जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है ;

(ग) "ब्लाक" से किसी ऐसे जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है;

(घ) "केन्द्रीय परिषद्" से धारा 12 के अधीन गठित केन्द्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसमें केन्द्रीय सरकार पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और राज्य सरकार इसका कार्यान्वयन करती है ;

(च) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "गृहस्थी" से परिवार के ऐसे सदस्य अभिप्रेत हैं जो रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा एक–दूसरे से संबंधित हैं और, सामान्यत: एक साथ निवास करते हैं तथा मिलकर भोजन करते हैं या एक सामान्य राशनकार्ड रखते हैं;

(ज) "कार्यान्वयन अभिकरण" में स्कीम के अधीन लिए गए किसी कार्य को आरंभ करने के लिए किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम सम्मिलित है ;

(झ) "मध्यवर्ती स्तर" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ग) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट ग्राम और जिला के बीच स्तर अभिप्रेत है ;

(ञ) "राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित संचालन समिति अभिप्रेत है ;

(ट) "आदर्शी आवंटन" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को किए गए निधि आवंटन अभिप्रेत है ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या अधिसूचित पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "कार्यक्रम अधिकारी" से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन ब्लाक स्तर पर नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) "ग्रामीण क्षेत्र" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(त) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(थ) "स्कीम" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य" से संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी हैं ;

(ध) "राज्य परिषद्" से धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् अभिप्रेत है ;

(न) "राज्य स्तरीय संचालन समिति" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित संचालन समिति अभिप्रेत है ;

(प) "अकुशल शारीरिक कार्य" से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है ;

(फ) "विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना चट्टा" से समेकित सम्मोहन अभिप्रेत है जिसमें जिला और राज्य स्तरों पर समूहकृत विकसित ग्राम पंचायन योजनाओं से उत्पन्न होने वाले प्रस्तावित संकर्म सम्मिलित हैं और जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संकर्मों के चार कथाव्य अधिकार क्षेत्रों के साथ संरेखित है;

(ब) "विकसित ग्राम पंचायत योजना" से विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित भावी तैयारी अभिसरण आधारित स्थानीय विकास योजना अभिप्रेत है जिसे भागीदारी और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया है और जो धारा 4 की उपधारा (3) में यथा उपबंधित इस अधिनियम के अधीन संकर्मों की पहचान और प्राथमिकता के लिए आधार के रूप में कार्य करती है ;

(भ) "मजदूरी दर" से धारा 10 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत है ;

(म) "कार्य" से स्कीम के अधीन किए गए या निष्पादित कोई आस्ति अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

कार्यान्वयन कार्य ढांचा

स्कीम के लिए राज्य सरकार कार्यान्वयन कार्य ढांचा ।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसमें दी गई विशेषताओं से संगत स्कीम बनाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाएगी जिसके अधीन वित्तीय दायित्व इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित निधि बटवारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाएगी, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालययी राज्यों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का वर्धित शेयर और राज्य सरकार के, इसके आवंटित शेयर के आधिक्य में उपगत किसी व्यय को वहन करने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है ।

विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप योजना कार्य ढांचा ।

4. (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी संकर्म उपधारा (3) के अधीन तैयार किए गए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से आरंभ किए जाएंगे और ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर समेचित किए जाएंगे तथा आगे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना चट्टा जिनमें राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित संकर्मों का व्यापक सूचीकरण सम्मिलित है ।

(2) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना प्रचुरता के अंतर्गत चार कथाव्य संकेन्द्रित क्षेत्राधिकार होगा अर्थात :—

(क) जल संबंधी संकर्मों के माध्यम से जल सुरक्षा ;

(ख) कोर ग्रामीण अवसंरचना ;

(ग) आजीविका संबंधी अवसंरचना ; और

(घ) कोर मौसम घटनाओं के न्यूनीकरण के लिए संकर्म ।

(3) इस अधिनियम के अधीन ग्रामीण संकर्म योजना ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं के माध्यम से आरंभ की जाएंगी तथा प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के साथ एकीकृत की जाएंगी जिससे स्थानिकत: अनुकूलित अवसंरचना विकास को समर्थ बनाया जा सके और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अन्तर विभागीय अभिसरण को मजबूत किया जा सके ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, ग्राम पंचायत को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार प्रवर्ग क, प्रवर्ग ख, प्रवर्ग ग में प्रवर्गीकृत किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार, वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों जो विहित किए जाएं, के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार आदर्शी आवंटन का अवधारण करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(6) राज्य द्वारा अपने आदर्शी आवंटन से अधिक उपगत किसी व्यय को ऐसी रीति और ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वहन किया जाएगा ।

ग्रामीण गृहस्थियों को मजदूरी नियोजन की गारंटी ।

5. (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन से अन्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात् जिसको ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि से परे किसी अवधि के लिए किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए काम सुनिश्चित करने के लिए उपबंध, जो समीचीन हो सकें, कर सकेगी ।

व्यस्तम कृषि सीजनों के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना ।

6. (1) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीनबनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किए बात के होते हुए भी और व्यस्तम कृषि सीजनों के दौरान पर्याप्त कृषि उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए ऐसे व्यस्तम सीजनों जो उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा या निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

(2) राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष में साठ दिन तक अवधि को समुच्चय करते हुए अग्रिम अधिसूचित करेगी जिसके दौरान ऐसी बुआई और फसल कटाई जिसके दौरान इस अधिनियम के अधीन कार्य नहीं किया जाएगा, के व्यस्तम कृषि सीजन भी हैं ।

(3) राज्य सरकार, राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों जिनके अंतर्गत जिले, ब्लाक या ग्राम पंचायतें भी है के लिए सुभिन्न अधिसूचनाएं कृषि जलवायु, क्षेत्रों, कृषि

क्रियाकलापों के स्थानीय पैटर्न या अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी प्रभाव होगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन योजना बनाने, मंजूर करने या संर्कमों को निष्पादित करने जिम्मेदार सभी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी संकर्म अधिसूचित व्यस्तम कृषि सीजनों के बाहर ही आरंभ किए जाएंगे ।

प्राकृतिक आपदाओं और असाधारण परिस्थितियों के दौरान शिथिलताएं।

7. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार प्राकृतिक आपदाओं, या महामारियों या प्रभावित गृहस्थियों को समय पर प्रतिक्रया और सहायता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अन्य असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष संक्रियात्मक शिथिलताओं की आवश्यकता की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करने पर, ऐसी विनिर्दिष्ट शिथिलताएं कर सकेगी जिनमें अनुज्ञेय संकर्मों को अस्थायी विस्तार, शिथिल किए गए दस्तावेजीकरण संन्नियम या वर्धित मजदूरी नियोजन का उपबंध करना, जो स्थिति का समाधान करने के लिए समुचित हो, भी है ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, ऐसी शिथिलताओं की घोषणा कर सकेगी जो स्थिति का समाधान करने के लिए समुचित हों और इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में इसके प्रचालन की अवधि विनिर्दिष्ट होगी, जो इस प्रकार अधिसूचित अवधि के लिए ही लागू होगी ।

अध्याय 3

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) स्कीम

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन(ग्रामीण):वी बी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) स्कीम।

8. (1) धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम बनाएगी ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम के सारांश को कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा और ऐसे सारांश को सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रानिक माध्यमों जिनके अंतर्गत राज्य सरकार की शासकीय वेबसाइट या कोई पदाभिहित डिजिटल प्लेटफार्म भी है, को भी प्रकाशित करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं के अनुरूप होगी और उनके लिए उपबंध करेगी ।

गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें ।

9. (1) राज्य सरकार, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम में शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन नियोजित व्यक्ति ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं हैं ।

मजदूरी दर ।

10. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो स्कीम के अधीन सभी उपबंधित अकुशल शारीरिक कार्यों को लागू होगी ।

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार अधिसूचित मजदूरी दर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन यथा अधिसूचित विद्यमान मजदूरी दर से कम नहीं होगी ।

2005 का 42

परंतु यह भी कि जब तक इस धारा के अधीन मजदूरी दर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की जाती है तब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन अधिसूचित मजदूरी इस अधिनियम द्वारा आच्छादित क्षेत्रों में लागू होती रहेगी ।

2005 का 42

ग्रामीण बेकारी भत्ते का संदाय ।

11. (1) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो पंद्रद दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा ।

(2) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन संदेय भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदकों को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुए ऐसी दर से जो राज्य परिषद् के परामर्श से अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए संदत्त किया जाएगा :

परंतु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के मजदूरी दर से एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक बटा दो से अन्यून नहीं होगी ।

(3) किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही—

(क) आवेदक को, ग्राम पंचायत या कार्य क्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उसकी परिस्थिति के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निदेशित किया जाता है ;

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है समाप्त हो जाता है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है;या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तीय वर्ष के भीतर कुल मिलाकर कम से कम एक सौ पच्चीस दिन का कार्य प्राप्त कर लिया है; या

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता दोनों को मिलाकर

उतना उपार्जित कर लिया है जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के एक सौ पच्चीस दिन की मजदूरी के बराबर है ।

(4) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अंतर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम स्तर का पंचायत है) जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, मंजूर और संवितरित किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय उस तारीख से जिसको यह संदाय के लिए शोध्य हो जाता है, पंद्रह दिन अपश्चात किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा ।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगी ।

अध्याय 4

कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ।

12. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने और उनका निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय परिषद्, अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं, कर्मकारों के संगठनों, समाज के कमजोर वर्ग के पंद्रह प्रतिनिधियों से अनधिक सदस्यों और एक सदस्य सचिव जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, से मिलकर बनेगी ।

(3) संरचना, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, कार्यकाल और बैठक की प्रक्रियाएं वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) इस अधिनियम के अधीन परिषद् ऐसे कृत्यों, कर्तव्यों और मूल्यांकन, मॉनीटरी, कार्यान्वयन सहायता तथा रिपोर्टिंग से संबंधित सलाहकारी भूमिकाओं जो इसे केन्द्र सरकार द्वारा सम्मिलित की जाएं का पालन करेगी और विस्तृत कृत्य उत्तरदायित्व तथा कार्यकरण की पद्धतियां वे होंगी जो विहित की जाएं ।

राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ।

13. (1) राज्य स्तर पर, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक राज्य परिषद् का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और समाज के कमजोर वर्ग से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पंद्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य होंगे :

परन्तु नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी :

परंतु यह और कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनाजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के होंगे ।

(2) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए राज्य परिषद् का अध्यक्ष

और सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा राज्य परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) स्कीम और राज्य में उसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ख) समय-समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनर्विलोकन करना तथा सुधारों की सिफारिश करना;

(ग) राज्य में इस अधिनियम और स्कीमों के कार्यान्वयन को मानीटर करना तथा ऐसे कार्यान्वयन का केन्द्रीय परिषद् के साथ समन्वय करना ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना ;

(ङ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य जो उसे केन्द्रीय परिषद् या राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

(4) राज्य परिषद् को, राज्य में प्रचालित स्कीमों का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े संगृहीत करवाने की शक्ति होगी ।

राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति।

14. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अंतर-मंत्रालयीय की अपेक्षा करने वाले मामलों, जिनके अंतर्गत अभिसरण नीतियां भी हैं, पर सलाह देने के लिए और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय निरीक्षण का उपबंध करने के लिए राज्यों को आदर्शी आबंटनों से संबंधित विनिश्चयों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन करेगी ।

(2) राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति केन्द्रीय सरकार के ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारियों और ऐसे अन्य सदस्यों जो केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, से मिलकर बनेगी और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति—

(क) राज्यों को आदर्शी आबंटनों से संबंधित विनिश्चयों की सिफारिश करेगी;

(ख) अंतरमंत्रालयीय परामर्श की अपेक्षा करने वाले विषयों, जिनके अंतर्गत अभिसमय पहल और कार्य ढांचे भी हैं, पर नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक निरीक्षण का उपबंध करेगी;

(घ) राज्यों के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगी और सुधारात्मक या सहयोगकारी उपायों की सिफारिश करेगी;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी अभिसरण और कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को सुकर बनाएगी ;

(च) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानकों मार्गदर्शी सिद्धांतों मानीटरी प्रणालियों तथा डिजिटल और भू-स्थानिक

लोक अवसंरचना पर सलाह देगी; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

राज्य स्तरीय संचालन समिति।

15. (1) केन्द्रीय सरकार स्कीम के संक्रियात्मक मार्गदर्शन, समन्वय और समन्वय का उपबंध करने के लिए और उसके कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) संबंधित विभाग का प्रधान सचिव या सचिव

(ख) निदेशक या आयुक्त (स्कीम का भारसाधक)

(ग) राज्य सरकार के सुसंगत विभागों के प्रधान सचिव या सचिव

(घ) विषयवस्तु विशेषज्ञों की ऐसी संख्या जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाए

(ङ) तकनीकी या अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधि; और

(च) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य ।

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति—

(क) राज्यव्यापी योजना, श्रम अपेक्षाओं और अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण का निरीक्षण करेगी;

(ख) जिला कार्य निष्पादन का अवलोकन करेगी और समग्र राज्य योजना की समय पर तैयारी सुनिश्चित करेगी;

(ग) राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति के साथ समन्वय करेगी और उससे जारी किए गए निदेशों को कार्यान्वित करेगी;

(घ) राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, मानीटरी व्यवस्थाओं और प्रक्रिया सुधारों की सहायता करेगी ; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य सरकारों द्वारा समनुदेशित किए जाएं ।

स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रधान प्राधिकारी ।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन स्कीम जिला मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरी के लिए प्रधान प्राधिकारी होंगे ।

(2) जिला स्तर पर पंचायत जिले में स्कीम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी और उसका समन्वयन करेगी, जिसके अंतर्गत समग्र जिला स्तर योजना को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन, संकर्मों का पर्यवेक्षण और मानीटरी, अभिसरण को सुनिश्चित करना भी है, और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें समग्र ब्लॉक स्तर योजना तैयार करेगी, उसे अंतिम रूप देगी योजना और कार्यान्वयनमें ग्राम पंचायतों की सहायता करेगी, ग्राम पंचायत तथा ब्लाक स्तरों पर संकर्मों का पर्यवेक्षण करेगी, विभागों के साथ मिलकर

अभिसरण को सुकर बनाएगी ।

(4) ग्राम पंचायत, गृहस्थियों को रजिस्टर करेगी कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करेंगी और उन पर प्रक्रिया करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को तैयार करेगी, उसे समनुदेशित संकर्मों को निष्पादित करेगी, ऐसे अभिलेखों को बनाए रखेगी जो विनिर्दिष्ट किए जाएं औरि ऐसे अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी जो उसे इस स्कीम के अधीन न्यस्त किए जाएं ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

17. (1) जिला कलक्टर या समतुल्य पंक्ति का कोई ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार विनिश्चित करे जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित होगा ।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा ।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:—

(क) जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समग्र योजना के समेकन और उसे अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला स्तर पर स्कीम के अभिसरण, कार्यान्वयन और मानीटरी का निरीक्षण करेगा ।

(ख) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस अधिनियम के उपबंधों का और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और ऐसी प्रशासनिक मंजूरियां और अनापत्तियाँ देगा जो स्कीम के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हों, जिसमें डिजिटल भू-स्थानिक और मानीटरी प्रणालियों से संबंधित प्रशासनिक मंजूरी और अनापत्ति भी हैं ।

(ग) जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और कार्यढांचे, प्रबंध, सूचना प्रणाली तथा इस अधिनियम तथा स्कीम के अधीन स्थापित जिम्मेदार तंत्र की मानीटरी का प्रयोग करते हुए उनके निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा, मानीटर करेगा तथा उसका पर्यवेक्षण करेगा ।

(घ) जिला कार्यक्रम समन्वयक स्कीम के अधीन आरंभ किए गए संकर्मों का आवधिक निरीक्षण करेगा, क्वालिटी तथा उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा और डिजिटल लोक अवसंरचना तथा पदाभिहित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेगा ।

(4) राज्य सरकार के कार्यक्रम अधिकारी और सभी अन्य अधिकारी तथा जिले के भीतर कार्यशील सभी प्राधिकारी और निकाय जिला कार्यक्रम समन्वयक की इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने में सहायता करेंगे ।

(5) जिला कार्यक्रम समनव्यक अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा संकलित ब्लाक योजनाओं तथा जिला पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करने अपनी अधिकारिता के अधीन जिले के अधीन एक समूहिकृत योजना तैयार करेगा ।

कार्यक्रम अधिकारी ।

18. (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत में, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो खंड विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो जो राज्य सरकार द्वारा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के

कार्यक्रम अधिकारी के लिए अवधारित की जाएं, नियुक्त करेगी ।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा ।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में संकर्मों से उद्भूत होने वाले नियोजन अवसरों के साथ नियोजन के लिए मांग की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन खंड के लिए समूहीकृत योजना तैयार करेगा ।

(5) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) खंड के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा आरंभ किए गए सभी संकर्मों तथा परियोजनाओं की मानीटरी जिससे विकसित ग्राम पंचायतों की योजनाओं के साथ संरेखन सुनिश्चित हो सके ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना;

(ग) खंड के भीतर स्कीम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को त्वरित और उचित भुगतान सुनिश्चित करना जिसके अंतर्गत डिजिटल तथा बायोमैट्रिक अधिप्रणामित भुगतान प्रणाली, जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए के माध्यम से भी है ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी संकर्मों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा ग्राम सभा द्वारा संचालित की जाती हैं और समयोचित तथा समुचित कार्यवाही ऐसी संपरीक्षाओं से उत्पन्न होने वाले आपत्तियों तथा निष्कर्षों पर की जाती है ;

(ङ) खंड के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों और व्यथाओं का शीघ्रता से इस अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निपटारा करना;

(च) खंड के भीतर आरंभ किए गए सभी संकर्मों की जियो टैगिंग डिजिटल रिकार्डिंग तथा प्रबकंध सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग तथा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मानीटरी उत्पादकता और पारदर्शिता कार्यढांचा का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

(छ) स्कीम के अधीन संतृप्ति प्रेरक योजना तथा संकर्म के निष्पादन की सहायता करने के लिए खंड स्तर पर अंतरविभागीय अभिसरण को सुकर बनाना ; और

(ज) कोई अन्य कृत्य जो इस अधिनियम के अधीन जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए ।

ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व ।

19. ग्राम पंचायत, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायित्व होगी :—

(क) घरों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना ;

(ख) ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्डों के कार्य हेतु आवेदन प्राप्त करना और अभिलेखो का अनुरक्षण ;

(ग) विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार करना ;

(घ) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, कार्य की मांग को विचार में लेते हुए, संतृप्ति आधार पर विकसित ग्राम पंचायत परियोजना तैयार करेगी ;

(ङ) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्यों का आबंटन करेगा ;

(च) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित का प्रदाय करेगा,—

(i) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल; और

(ii) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची ।

(छ) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आबंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगी ।

(झ) इस स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किए गए कार्य अपेक्षित तकनीकी मानक और मानदण्ड पूरा करेंगे ;

(ज) कार्यक्रम अधिकारी उसे आबंटित कार्यों का निष्पादन करना ; और

(झ) ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर विकसित ग्राम पंचायत परियोजना से किसी स्कीम के अधीन कोई कार्य ले सकेगी, जो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए ।

ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक संपरीक्षा ।

20. (1) ग्राम सभा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन को मानीटर करेगी ।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर स्कीम के अधीन लिए गए सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगी ।

(3) ग्राम पंचायत, सामाजिक संपरीक्षा के संचालन के लिए अपेक्षित सभी अभिलेख और दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत मस्टर रोल, बीजक, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो-टैग्ड फोटोचित्र और अन्य सभी संबंधित लेखा बहियां और कागजपत्र भी हैं, चाहे भौतिक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में रखे जाएं, ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी ।

स्कीम के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व ।

21. राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को ऐसे अनिवार्य कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता, जो स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी ।

अध्याय 5

स्कीम की प्रकृति और निधि सांझा करने का तरीका

स्कीम की प्रकृति और निधि सांझा करने का तरीका ।

22. (1) इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित स्कीम, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम होगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का तरीका, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के लिए 90:10 होगा, और सभी अन्य राज्यों तथा विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 60:40 होगा ।

(3) बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, केंद्रीय सरकार, स्कीम के सभी व्यय, ऐसी रीति में, जो विहित किए जाएं, वहन करेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे वस्तुनिष्ठ मानदंड, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, राज्यवार मानक आबंटन अवधारित करेगी ।

(5) किसी राज्य द्वारा, उसको मानक आबंटन के आधिक्य में उपगत कोई व्यय, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति और प्रक्रिया में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, उपगत किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम के अधीन अवधारित राज्यवार मानक आबंटन के अनुसार, केंद्रीय सरकार के भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे,—

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारिवृंद, केंद्रीय परिषद् के प्रशासनिक व्यय, दूसरी अनुसूची के अधीन अपेक्षित प्रसुविधाओं और ऐसे अन्य मद, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

(7) इस अधिनियम के अधीन अवधारित राज्यवार मानक आबंटन के अनुसार, राज्य सरकार के भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे,—

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारिवृंद, राज्य परिषद् के प्रशासनिक व्यय, दूसरी अनुसूची के अधीन अपेक्षित प्रसुविधाओं और ऐसे अन्य मद, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

(8) राज्य सरकार, बेकारी भत्ता और विलंब प्रतिकर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के लिए व्यय का वहन करेगी ।

अध्याय 6

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ।

23. (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, उनके निपटारे के लिए रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन से संबंधित समुचित बहियों और लेखाओं तथा उपगत व्ययों के अनुरक्षण की रीति वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) राज्य सरकार, स्कीम के अधीन कार्यों के उचित निष्पादन के लिए और

स्कीम के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं का अवधारण कर सकेगी ।

(4) सभी मजदूरी और बेकारी भत्तों के संदाय, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सीधे संबद्ध व्यक्ति को किए जाएंगे ।

(5) यदि ग्राम पंचायत द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा ।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक विवाद या शिकायत की प्रविष्टि उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्टर में करेगा और ऐसे विवाद तथा शिकायत को उसकी प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर निपटाएगा ; और जहां मामले किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित हैं, वहां इसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

प्रौद्योगिकी समर्थित पारदर्शिता और लोक उत्तरदायित्व ।

24. पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निम्नलिखित माध्यम से सुनिश्चित किए जाएंगे,—

(क) कर्मकारों, प्राधिकारियों और संव्यवहारों का ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन ;

(ख) भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी समर्थित योजना, जिसके अंतर्गत जियो-रेफरेंसिंग, उपग्रह चित्रण, कार्यों की डिजिटल मैपिंग और अन्य अनुमोदित की गई स्थानिक प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ग) ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन आधारित और डैशबोर्ड-आधारित मॉनिटरी तंत्र, जो वास्तविक समय-आधार पर मांग, कार्य, श्रमिकों को काम पर लगाने, संदाय, प्रगति और अन्य संकेतक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, उपलब्ध कराए ;

(घ) साप्ताहिक लोक प्रकटीकरण तंत्र, जिसके अंतर्गत डिजिटल और भौतिक प्रकटीकरण, की-मैट्रिक्स, मस्टर रोल, संदाय, मंजूरी, निरीक्षण और शिकायत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ; और

(ङ) सामाजिक संपरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना और ऐसे अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित तंत्रों को अंगीकार करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

शिकायत दूर करने हेतु तंत्र ।

25. (1) राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटान के लिए, किसी शिकायत के निपटान हेतु ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर, समयबद्ध और बहुचरण शिकायत निवारण तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अधिकथित करेगी ।

(2) ये तंत्र, आवेदकों से संबंधित शिकायतों का निपटान करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी की धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नियोजन उपलब्ध कराने में विफलता ;

(ख) मजदूरी का असंदाय या विलंबित संदाय ;

(ग) बेकारी भत्ते का असंदाय ;

(घ) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर प्रसुविधाओं का अभाव ;

(ङ) विभेद, उत्पीड़न या कर्मकारों, जिसके अंतर्गत महिलाएं और दुर्बल समूह भी हैं, के अधिकारों का अतिक्रमण ।

लेखाओं की संपरीक्षा ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से, स्कीम के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेगी ।

(2) स्कीम के लेखे, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाएंगे ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

उल्लंघन के लिए शास्ति ।

27. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

28. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

29. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वय के लिए, राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और युक्तियुक्त कालावधि के भीतर इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारात्मक उपाय कर सकेगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

30. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां कोई ऐसा राज्य अधिनियम विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसके अधीन गृहस्थी की

हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे निम्नतर नहीं हैं, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई है, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्ध राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता, जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

31. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

2023 का 45

32. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

33. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) ऐसे नियम, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आबंटन ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अधिक व्यय को वहन करने की रीति और प्रक्रिया तथा इसके मानदंड ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन बैठक का गठन, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, कार्यकाल और प्रक्रिया ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन विस्तृत कृत्य, उत्तरदायित्व और साधन ;

(ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय विषय निर्वाचन समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत का निवारण करने की रीति ;

(छ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा किए जाने की रीति ;

(ज) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन स्कीम के व्ययों को वहन

करने की रीति ;

(झ) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन राज्यवार मानक आबंटन का अवधारण करने के लिए लक्ष्य मानदंड ;

(ञ) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन अधिक व्यय को वहन करने की रीति और प्रक्रिया ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मद ;

(ठ) धारा 22 की उपधारा (7) के खंड (ग) के अधीन अन्य मद ;

(ड) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन बेकारी भत्ता और विलंब प्रतिकर के लिए व्यय ;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन मजदूरी और बेकारी भत्तों के संदायों की रीति ;

(ढ) धारा 24 के खंड (ङ) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा तंत्र और अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली का अंगीकरण ;

(ण) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने की रीति ;

(त) धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन अंतरण और निहित होने की रीति ;

(थ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

34. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन पात्रता के निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन बैठक के निबंधन, शर्तें, समय, स्थान और प्रक्रिया तथा गणपूर्ति ;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन समुचित बहियों और लेखों के अनुरक्षण की रीति ;

(घ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के लेखों का प्ररूप और अनुरक्षण की रीति ।

नियमों और स्कीमों का रखा जाना ।

35. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में

कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के, जहां दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

36. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कर सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :

(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन, व्यावृत्ति और संक्रमणकालीन उपबंध ।

2005 का 42

37. (1) धारा 10 में यथा उपबंधित के सिवाए, ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियत तारीख कहा गया है), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं, स्कीमों, आदेशों और मार्गनिर्देशक सिद्धांतों सहित, निरसित हो जाएगा ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना, मंजूर की गई स्कीम, सृजित नियोजन, तैयार किए गए मस्टर रोल, उद्भूत मजदूरी देयता या प्रारंभ की गई कार्यवाहियां, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, ली गई, जारी की गई, मंजूर की गई, उद्भूत या उपगत की गई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

(3) निरसित अधिनियम के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, व्यवस्थाएं, प्राधिकार, अनुमोदन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, और जो इस नियत दिन से ठीक पूर्व बनी हुई थी, जब तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार असंगत न हों, तब तक विधिमान्य और प्रवृत्त रहेंगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन परिवर्तित, अधिष्ठित न हो जाएं या वापस न ले ली जाएं ।

(4) नियत दिन के ठीक पूर्व लंबित, सभी जांच, अन्वेषण, संपरीक्षा और विधिक कार्यवाहियां, वे उसी प्रकार जारी रहेंगे, सुनी जाएंगी और निपटान किया जाएगा, मानो निरसित अधिनियम का निरसन न हुआ हो और ऐसी कार्यवाहियां का केवल निरसन के कारण उपशमन नहीं होगा ।

(5) निरसित अधिनियम के अधीन उद्भूत, या उससे संबंधित, सभी आस्तियां, दायित्व, अभिलेख, निधियां और बाध्यताएं, इस अधिनियम के अधीन गठित

प्राधिकरणों को स्थानांतरित और निहित हो जाएंगी और ऐसी रीति में निपटायी जाएंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

पहली अनुसूची

[धारा 8(3) देखिए]

विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं :

(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन सभी राज्यों द्वारा अधिसूचित स्कीम का नाम "विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) स्कीम" है और उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) अधिनियम, 2025 का उल्लेख होगा ।

2. उक्त स्कीम से संबंधित सभी दस्तावेजों में विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) : वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) विधेयक, 2025 का उल्लेख होगा ।

3. स्कीम के मुख्य उद्देश्य निम्न होंगे :—

(क) इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य, ऐसे ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी-रोजगार गारंटी प्रदान करके, ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें ।

(ख) जल से जुड़े कार्यों, मुख्य ग्रामीण अवसंसचना, आजीविका से संबद्ध अवसंसचना और खराब मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों द्वारा जल सुरक्षा पर विषयगत ध्यान केंद्रण के साथ, सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, जिसका परिणाम विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक बनाने में होगा ।

(ग) चरम कृषि मौसम के दौरान तथा ग्रामीण कार्य बल के लिए मजदूरी-नियोजन गारंटी की दृष्टि से फार्म-मजदूरों की पर्याप्त उपलब्धता को सुकर बनाना।

(घ) ग्राम पंचायतों की विभिन्न आवश्कताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति-चलन योजना और पूर्ण सरकारी परिदान को संस्थागत करने हेतु, भू-स्थानिक प्रणाली, डिजीटल लोक अवसंरचना द्वारा संचालित, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संकलित ऐसी योजनाओं के साथ जिला और राज्य योजना तंत्र।

(ङ) विभिन्न स्तरों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल आधारित कार्यस्थल मॉनीटरी, वास्तविक-समय प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, पूर्व सतर्क लोक प्रकटीकरण पर शासन, जवाबदेही तथा नागरिक जुड़ाव को व्यापक डिजीटल पारिस्थतिकी तंत्र, जिसके अंतर्गत बायोमैट्रिक अधिप्रमाणीकरण भी है, के माध्यम

से आधुनिकीकरण करना तथा योजना, लेखा-परीक्षा, कपटपूर्ण जोखिम अल्पीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।

4. स्कीम के अधीन कार्य—(1) स्कीम का केन्द्र - कार्यों का वर्गीकरण : स्कीम विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में पहचान किए गए अनुसार, निम्नलिखित कार्यों के प्रवर्गों पर केन्द्रित होगी तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार में संकलित होगी

(2) इस अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनों के लिए, स्कीम के अधीन लिए गए कार्य, उनके विषयक, केंद्र तथा आशियत परिणामों के साथ निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन आते हैं, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1—जल-संबंधित कार्य (जल की सुरक्षा के लिए) :—

(अ) केंद्र के अंतर्गत संरक्षण, सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण स्रोत संधारणीयता, जल निकायों का पुनरूद्धार, जल विभाजक विकास तथा वनरोपण आता है तथा निदर्शी कार्यों के अंतर्गत—

(i) नहर, बाढ़ या विपथन जलमार्ग, चेक बांध, मुहबंद तथा भूमिगत बांध का निर्माण ;

(ii) तालाब, टैंक रिसन, पुनर्भरण गड्ढ़े, पुनर्भरण शाफ्ट, अंतःक्षेपण कुएं तथा सहबद्ध जल संचयन संरचना का निर्माण या पुनरूद्धार;

(iii) खुले कुएं द्वारा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई जलमार्ग तथा क्षेत्रीय जल वितरण प्रणाली;

(iv) सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार;

(v) मृदा तथा नमी संरक्षण के साथ जुड़े वनरोपण और पौधारोपण कार्य;

(vi) छत पर वर्षा जल संचयन और अन्य विकेंद्रीकृत पुनर्भरण प्रणालियां।

(आ) आशयित परिणाम—एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, पुनर्भरण के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा दीर्घकालिक जलवायु प्रतिरोधकता का संरक्षण करना।

(ख) प्रवर्ग 2—मुख्य ग्रामीण अवसंरचना—

(अ) विषयक केंद्र के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संयोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मुख्य नागरिक, सामाजिक, शासन तथा सेवा-परिदान अवसंरचना भी आते हैं तथा निदर्शी कार्यों के अंतर्गत—

(i) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुल-सह-जल निकासी संरचना तथा ग्राम संयोजन सुविधाओं का निर्माण या उन्नयन ;

(ii) ग्राम पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्रामीण पुस्तकालयों तथा अन्य लोक भवनों का निर्माण ;

(iii) विद्यालय अवसंरचना का निर्माण, जिसके अंतर्गत रसोई शेड, अतिरिक्त कक्षा के कमरों, प्रयोगशालाओं, परिसर की दीवारों और खेल के मैदानों का निर्माण ;

(iv) दाह-संस्कार स्थान तथा सामुदायिक अवसंरचना ;

(v) ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन आस्तियां, जिसके अंतर्गत स्थिर तालाब, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण केंद्र आते हैं ;

(vi) सौर ऊर्जा प्रणाली और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना का संस्थापन ;

(vii) ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, परिवहन शेड और अन्य सामान्य ग्रामीण सुख-सुविधाएं ;

(viii)केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ग्रामीण आवास कार्य, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अधीन अनुज्ञात हैं ;

(ix) जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल-जीवन मिशन के अधीन सृजित कार्यों की रिपेयर और रख-रखाव ।

(आ) आशयित परिणाम—आधारभूत सुख-सुविधाओं, सुधरी हुई सेवाओं तक पहुंच तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिवृद्ध जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आधारिक, नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना का सृजन।

(ग) प्रवर्ग 3—जीविका-संबंधित अवसंरचना—

(अ) विषयक केंद्र के अंतर्गत उत्पादक आस्तियां और सुविधाएं भी हैं, जो कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, मूल्य अभिवर्धन, कौशलता तथा उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण जीविका का अभिवर्धन करती हैं तथा निदर्शी कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) जीविका क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केंद्र तथा कार्य शेड का निर्माण ;

(ii) ग्रामीण हाट या साप्ताहिक बाजार और अन्य बाजार अवसंरचना ;

(iii) खाद्य अनाज भंडारण भवन, कृषि उत्पाद भंडारण अवसंरचना, शीत भंडारण यूनिट तथा अन्य कृषि-मूल्य चेन अवसंरचना ;

(iv) स्वयं सहायता समूह तथा परिसंघ-स्तर संस्थाओं के लिए भवन ;

(v) वानस्पतिक खाद, जिसके अंतर्गत कृमि वानस्पतिक खाद तथा एनएडीईपी यूनिट भी हैं ;

(vi) वन चारागाहों, घास के मैदानों, डेयरी अवसंरचनाओं और मवेशियों, बकरियों, सुअरों, मुर्गी पालन और अन्य पशुधन के लिए आश्रयों का विकास ;

(vii) मत्स्य पालन संबंधी अवसंरचना, जिसके अंतर्गत मछली सुखाने के यार्ड भी हैं ;

(viii) नर्सरी की खेती को बढ़ाना तथा भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन ; और

(ix) प्रचालनीय तथा चक्रीय आर्थिक मॉडल के संवर्धन के लिए एकीकृत परियोजनाएं, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

(आ) आशयित परिणाम—संधारणीय जीविका, मूल्य अभिवर्धन, उद्यम विकास तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।

(घ) प्रवर्ग 4—अत्यंत कठिन मौसमी घटनाओं के अल्पीकरण तथा आपदा की तैयारियों के लिए विशेष कार्य—

(अ) विषयक केंद्र के अंतर्गत, आपदा जोखिम में कमी, जलवायु अनुकूलन और ग्रामीण समुदायों का संरक्षण तथा बाढ़, चक्रवातों, तूफानों, सूखा, भू-स्खलन, जंगल की आग तथा अन्य अत्यंत कठिन मौसमी घटनाओं से आस्तियां भी हैं तथा निदर्शी कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) चक्रवात आश्रय स्थलों, बाढ़ आश्रय स्थलों तथा बहुप्रयोजनीय आपदा प्रतिरोधक संरचनाओं का निर्माण ;

(ii) जलमार्ग विपथन नहरों, तटबंधों तथा अन्य आपदा अल्पीकरण कार्यों का निर्माण ;

(iii) बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाबों और जल संरचनाओं को स्थिर करना ;

(iv) आपदा पश्चात् पुनर्वास, बहाली तथा ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक आस्तियों की मरम्मत ;

(v) पवन अवरोधक तथा आश्रय पट्टी वृक्षारोपण ; और

(vi) वनाग्नि प्रबंधन कार्य, जिसके अंतर्गत अग्नि अवरोध, ईंधन बफर जोन और सहबद्ध उपाय भी हैं।

(आ) आशयित परिणाम—अत्यंत कठिन मौसमी स्थितियों का सामना करने में सक्षम जलवायु-प्रतिरोधी गांवों का सृजन।

(3) कोई अन्य लोक कार्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(4) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण लोक आस्तियों का अनुरक्षण ;

(5) व्यक्तिगत फायदाग्राहियों के लिए कार्य, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास

योजना—ग्रामीण स्वच्छता संबंधित कार्य और समय-समय पर, केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों के अधीन किए गए अन्य फायदाग्राही-उन्मुख विकासात्मक कार्य और स्कीम के अधीन समावेशन के लिए अभिव्यक्त रूप से अधिसूचित भी हैं, को भी किया जा सकता है। ऐसे फायदाग्राहियों की पात्रता, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सन्नियमों, मानकों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सभी ऐसे कार्यों के साथ केंद्रीय सरकार की क्रमिक स्कीमों के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(6) उपरोक्त की साधारणता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित व्यक्तिगत आस्तियों के सृजन के कार्य उन परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या आवास पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं—

(क) अनुसूचित जातियां ;

(ख) अनुसूचित जनजातियां ;

(ग) खानाबदोश जनजातियां ;

(घ) गैर-अधिसूचित जनजातियां ;

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों द्वारा आधारित पहचान किए गए अनुसार आर्थिक रूप से समाज का कमजोर वर्ग ;

(च) महिला-मुखिया वाले परिवार ;

(छ) दिव्यांग व्यक्ति मुखिया वाले परिवार ;

(ज) भूमि सुधार के फायदाग्राही ;

(झ) प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अधीन फायदाग्राही ; और

(ञ) अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन-निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2), और

उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों की सर्वांगीणता के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचान किए गए छोटे या सीमांत किसानों पर ऐसी शर्तों के अधीन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकें, कार्य किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये अपेक्षित है कि ऐसे परिवारों के पास विधिमान्य जॉब कार्ड हों तथा ऐसा कम से कम कोई वयस्क सदस्य, जो उनकी भूमि या वास भूमि पर चलने वाली परियोजना पर कार्य करने का इच्छुक हो।

5. सहभागी योजना के अधीन स्कीम—(1) अभिसरण और संतृप्ति आधारित योजना के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्कीमों को, जैसा अधिसूचित किया जाए, विकसित ग्राम पंचायत योजना पर आधारित एकीकृत योजना प्रक्रिया के अधीन लाया जाएगा।

(2) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसरण में व्यवस्थित और सहभागी योजना का निर्वहन किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग जीआईएस आधारित साधनों, प्रधानमंत्री गति शक्ति

परतों तथा अन्य डिजिटल लोक अवसंरचना से तैयार की जाएगी तथा अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएगी। मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन अधिकरणों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को भी इसी प्रकार क्रमिक पंचायतों के समक्ष उनके आशयित उत्पादन तथा परिणामों के साथ रखा जाएगा। वीजीपीपी को ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तरों पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और संतृप्ति आधारित योजनाओं के लिए सभी ग्राम पंचायतों में पात्र आस्तियों और परिणामों की व्यापक कवरेज हेतु सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए संकलित किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से निकलने वाले सभी कार्य विकसित भारत—राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार में समेकित होंगे।

(3) विकसित ग्राम पंचायत योजना—प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास मानदंडों के आधार पर अवधारित प्रवर्ग क, ख, ग आदि में उनके वर्गीकरण पर आधारित संतृप्ति-मोड योजनाओं को तैयार करेगी, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की समीप्यता भी है, ताकि पंचायतों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सभी ऐसे कार्य प्रधानमंत्री गति शक्ति, जीआईएस आधारित साधन और अन्य डिजिटल लोक अवसंरचना का उपयोग करते हुए तैयार की गई अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना से अनन्य रूप से तैयार किए जाएंगे।

(4) विकसित ग्राम पंचायत योजना में पहचान किए गए कार्य अभिसरण में विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्कीमों के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। ऐसे अभिसरण के लिए आने वाली स्कीम केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

6. अभिसरण तथा एकीकृत योजना के लिए ढांचा—ग्रामीण क्षेत्रों में लिए गए सभी कार्यों की संबद्ध योजना, निष्पादन और मॉनीटरी के लिए एकीकृत अभिसरण ढांचा स्थापित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन के लिए—

(1) अभिसरण तथा संतृप्ति आधारित योजना के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्कीमों को, जैसा अधिसूचित किया जाए, विकसित ग्राम पंचायत योजना में स्थिर एकीकृत योजना प्रक्रिया के अधीन लाया जाएगा ;

(2) सभी विद्यमान आस्तियां और प्रस्तावित कार्य, चाहे इस अधिनियम या अन्य किसी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्कीम के माध्यम से निधि पोषित हों, आज्ञापक रूप से विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत तथा ट्रैक अभिहीत डिजिटल पोर्टल का उपयोग करते हुए, किए जाएंगे, जो ग्रामीण लोक कार्यों का विस्तृत रजिस्टर रखेंगे, अनुलिपिकरण का निवारण करेंगे, विभागीय विनिधानों का एकीकरण करेंगे तथा सभी कार्यों को संतृप्ति परिणामों के अनुरूप लाएंगे ;

(3) ग्रामीण विकास मंत्री, प्रबंधन सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय रूप से सुव्यवस्थित ग्रामीण लोक कार्यों के लिए एकल डिजिटल रीढ़, जिसके अंतर्गत जल सुरक्षा भी है, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, जीविका संबंधी अवसंरचना और अत्यंत कठिन मौसमी घटनाओं के न्यूनीकरण के लिए विशेष कार्यों हेतु तैयारी करेंगे तथा

आवधिक रूप से उसे उन्नत करेंगे ; और सारी योजनाएं विकसित ग्राम पंचायत योजना की तैयारी के साथ शुरू होते हुए कठोर नीचे से ऊपर प्रक्रिया का अनुसरण करेंगी, जो ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तरों पर आनुक्रमिक रूप से संकलित की जाएगी, तथा संकलित राज्य योजना अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय विषय निर्वाचन समिति के समक्ष रखी जाएगी ;

(4) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार, प्राथमिक अवसंरचना अंतरालों, कार्य डिजाइनों के मानिकीकरण को पहचानने में राज्य, जिलों तथा पंचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि लोक विनिधान का ग्राम पंचायत, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर संतृप्ति परिणामों के लिए सही मात्रा में अभिदाय किया जा रहा है ;

(5) यह संस्थागत वास्तुकला विभागों और स्कीमों में एकल योजना, बहुनिधिकरण दृष्टिकोण, अभिसरण का संवर्धन सुनिश्चित करेगी तथा सभी ग्रामीण विकास प्रयासों को उत्पादक, प्रतिरोधी तथा परिवर्तनकारी ग्रामीण आस्तियों के सृजन की दृष्टि से विकसित भारत, 2047 के अनुरूप करेगी।

7. नियामक आबंटन का अंतरराज्यीय वितरण—राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक आबंटन की प्राप्ति पर, जिला और ग्राम पंचायतों में आबंटन के साम्यापूर्ण, आवश्यकता आधारित और पारदर्शी अंतरराज्यीय वितरण को ग्राम पंचायत-वार आबंटन तथा तत्स्थानी जिला आबंटनों के लिए निर्धारित स्थानीय आवश्यकताओं और ग्राम पंचायतों के प्रवर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेगी ; तथा ऐसे वितरण के लिए ब्यौरेबद्ध पद्धति, मानदंड और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की जाएगी।

8. चल रहे कार्यों की पूर्णता—नया कार्य शुरू करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चल रहे या पूर्ण ना हुए कार्यों को पूर्ण किए जाने के लिए योजना सन्नियमों और अनुमोदित वीजीपीपी के अधीन रहते हुए प्राथमिकता दी जाए।

9. कार्यों के लिए तकनीकी प्राक्कलन और मानक—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक कार्य का विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार के अनुरूप ढांचा आधारित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तकनीकी प्राक्कलन और डिजाइन होगा, जबकि स्वीकृत प्राक्कलन सुनिश्चित किए जाएंगे :

10. निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए, श्रम की उपलब्धता तथा स्थानीय सामग्रियों के उपयोग पर निर्भर करते हुए, जहां तक संभव हो समुचित श्रम-गहन प्रौद्योगिकीयों को नियोजित किया जाएगा ;

11. परिमाणों का बिल, सभी पणधारियों के लिए पारदर्शित सुनिश्चित करने हुए स्पष्ट और सामान्य रूप से समझी जाने वाली शब्दावली का उपयोग करेगा ;

12. प्रत्येक कार्य का प्राक्कलन, डिजाइन तथा तकनीकी नोट को उपदर्शित करने वाला सार होगा, जो आशयित उत्पादन और परिणामों को उपदर्शित करता है ;

13. सभी तकनीकी प्राक्कलन, डिजाइन तथा परिणाम नोट अभिहीत प्रबंधन सूचना

प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जनित या अपलोड किए जाएंगे।

14. प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां—(1) अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए तथा ब्लॉक और जिला स्तरों पर संकलित कार्यों को अपेक्षाओं के अनुसार और युक्तियुक्त अवधि के समयावधि के भीतर समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मंजूर की जाती है।

(2) स्वीकृति प्राधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा—

(क) प्रस्तावित कार्यों को अनन्य रूप से अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) से तैयार किया जाएगा ;

(ख) कार्य, विषयक डोमेन तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार के साथ संगत हैं ;

(ग) सभी स्वीकृत कार्य अधिनियम के अधीन अभिहीत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं।

15. मस्टर रोल और उपस्थिति प्रणाली—इस अधिनियम के अधीन किए गए कार्यों के लिए मस्टर रोल डिजीटल प्रणाली के माध्यम से अनुरक्षित किया जाएगा तथा निम्नलिखित अपेक्षाओं की अनुपालना करेगा :

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा में होगा और उसकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी विशिष्ट इलैक्ट्रॉनिक जनित पहचान संख्या (ई-मस्टर) होगी। मस्टर रोल के अंतर्गत उन सभी कर्मकारों के नाम, जिन्होंने कार्य की मांग की थी या जिन्हें कार्य आबंटित किया गया था, होंगे और ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत कृत्यकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(ख) कार्यस्थल पर उपस्थिति प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए दैनिक रूप से अभिलिखित की जाएगी और सभी उपस्थिति ब्यौरे दैनिक आधार पर अभिहीत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से लोगों द्वारा देखने हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ग) ई-मस्टर रोल सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धातों के अधीन नियत रीति में अधिकारियों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा।

16. संदाय के लिए माप और आधार—(1) मजदूरी का संदाय मस्टर रोल की समाप्ति के तीन दिन के भीतर प्राधिकृत तकनीकी कार्मिक द्वारा कार्यस्थल पर किए गए केवल माप पर आधारित होगा तथा अभिहीत प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप में अभिलिखित होगा।

(2) राज्य सरकार, समय पर माप के लिए पर्याप्त तकनीकी कार्मिक को समर्थ करने हेतु अभिनियोजन सुनिश्चित करेगी। उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रत्यायोजित तकनीकी उत्तरदायित्वों के साथ अभिनियोजित किया जा सकेगा

और कौशलपूर्ण दरों पर उन्हें मजदूरी संदत्त की जाएगी।

17. उत्पादन और दरों की अनुसूची से मजदूरी का सहयोजन—राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूरी कार्य के विभिन्न प्रकारों तथा विभिन्न मौसमों के लिए समय और गति अध्ययन के आधार पर अधिसूचित दरों की ग्रामीण अनुसूची के अनसुरण में, पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा का संयोजन बिना किसी लिंग भेद के सुनिश्चित की जाएगी तथा आवधिक रूप से पुनरीक्षित की जाएगी।

18. भेद्य (असुरक्षित) समूहों के लिए दरों की विशेष अनुसूची—महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त श्रेणियों के काम में उनकी उत्पादक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दरों की एक पृथक् अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

19. कार्य समय और उपार्जन सन्नियम—(क) दरों की अनुसूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि एक वयस्क व्यक्ति आठ घंटे काम करने पर, जिसमें एक घंटे का विश्राम भी सम्मिलित हो, अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य राशि अर्जित कर सके।

(ख) किसी वयस्क श्रमिक के काम के घंटे लचीले हो सकते हैं, परन्तु आराम के अंतराल सहित एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे।

20. सामग्री घटक—इस अधिनियम के अधीन किए गए सभी कार्यों के लिए, सामग्री घटक की लागत राज्य स्तर पर पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

21. ठेकेदारों के बिना निष्पादन—(1) इस अधिनियम के अधीन व्यय द्वारा वित्तपोषित किसी भी कार्य या घटक के निष्पादन के लिए किसी ठेकेदार को नहीं लगाया जाएगा। जिसमें ऐसे सभी कार्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसरण में सीधे निष्पादित किए जाएंगे इस अधिनियम के अधीन, आज्ञापक सक्रिय प्रकटीकरण और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया सहित कई उपबंध लागू होंगे।

(2) अभिसरण के मामलों में जहां किसी कार्य के घटक अन्य स्कीम के अधीन वित्तपोषित होते हैं, उन घटकों का निष्पादन अभिसरण स्कीम के सन्नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें अनुमति प्राप्त ठेकेदारों का उपयोग भी सम्मिलित है।

22. यथासाध्य, कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा निष्पादित कार्य शारिरिक श्रम का उपयोग करके किए जाएँगे और श्रम को विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

23. सामग्री का पारदर्शी उपापन—कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी सामग्री ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ई निविदा (ई-टेंडरिंग) प्रक्रियाओं सहित पारदर्शी उपापन प्रणालियों के माध्यम से उपाप्त की जाएगी।

24. स्कीम के अधीन अनुज्ञात प्रशास्निक व्यय में से, कम से कम एक तिहाई ग्राम पंचायत के स्तर पर नियोजन और रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों को किए गए कार्य के अनुसार भुगतान करने और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए उपयोग किया जाएगा ।

25. पारदर्शिता और जवाबदेही—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आज्ञापक सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामाजिक लेखापरीक्षा सहित व्यापक उपबंध होंगे;

(2) आज्ञापक सार्वजनिक प्रकटीकरण—(क) आज्ञापक सार्वजनिक प्रकटीकरण अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा और सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा:

(ख) प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य का विवरण अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्रा और मदवार लागत दर्शाने वाला एक "जनता बोर्ड" प्रदर्शित किया जाएगा। ।

(ग) प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, अधिनियम के अधीन गारंटी, विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के अधीन अनुमोदित कार्य, और ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा वर्षवार किए गए या पूरे किए गए कार्य का डिजिटल और भौतिक प्रदर्शन होगा ।

(घ) इस अधिनियम के अधीन कार्यों, श्रम मांग, रोजगार प्रदान करने, भुगतान, सामग्री उपयोग और भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण निर्दिष्ट पोर्टल से एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से उत्पन्न होंगे और सार्वजनिक रूप से सुलभ डिजिटल प्ररूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत भवन में कार्यों की स्थिति, भुगतान, शिकायतें और अन्य सुसंगत जानकारी समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें आयोजित की जाएगी।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्यों के विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आधिकारिक वेबसाइटें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुपालन में अधिनियम से संबंधित नि:शुल्क उपलब्ध, डाउनलोड किए जाने योग्य सभी जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी ।

(3) सामाजिक लेखापरीक्षा—(क) इस अधिनियम के अधीन सभी कार्य, व्यय और गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से कम से कम प्रत्येक छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा के अध्याधीन होंगे।

(ख) सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया, मानक और तौर-तरीके इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित किए जाएंगे।

(ग) ऐसे नियमों के अधिसूचित होने तक, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लेखापरीक्षा नियम, 2011 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

4. समवर्ती मूल्यांकन तंत्र—मापने योग्य परिणामों और वास्तविक समय की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन और पूर्णता पश्चात् आस्ति परिणामों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित मानीटरिंग आज्ञापक होगी, जो सत्यापित डेटा

प्रणाली और स्थानिक प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित होगी। व्यापक पारदर्शिता ढांचे के माध्यम से साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित समवर्ती मूल्यांकन तंत्र द्वारा मार्ग दर्शक सिद्धांतो के माध्यम से निरंतर निगरानी और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का उपबंध किया गया है।

26. दुर्विनियोजित की गई रकम की वसूली—(1) अधिनियम के अधीन व्यय की गई रकम के दुर्विनियोजन राज्य में प्रचलित वसूली के लिए सुसंगत राजस्व विधि के अधीन वसूली योग्य होगा।

(2) ऐसी वसूली का वह अंश जो केंद्र का भाग है, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में भेजा जाएगा।

27. निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण—राज्य सरकार गुणवत्ता मानकों का पालन, मापों की यथार्थता और मजदूरी भुगतान का वास्तविक निष्पादित कार्य मात्रा से अनुरुपता सुनिश्चित करने के लिए अभिहित गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली में अपलोड की जाएगी।

28. शिकायत प्रतितोषण तंत्र—इस अधिनियम के अधीन एक प्रभावी शिकायत प्रतितोषण तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक होंगे अर्थात् :—

(क) वार्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक शिकायतें प्राप्त करने के लिए संस्थागत तंत्र, एक अभिहित दिवस होगा, जब अधिकारी शिकायतें सुनने के लिए आज्ञापक रूप से उपलब्ध रहेंगे;

(ख) किसी भी प्राधिकृत कृत्थकारी को लेखबद्ध, दूरभाषा द्वारा, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत की गई सभी शिकायतों के लिए तारीख के साथ पावती जारी की जाएगी;

(ग) स्थान का सत्यापन या निरीक्षण के माध्यम से जांच शिकायत प्राप्त होने के सात कार्यदिवसों के भीतर पूरी की जाएगी;

(घ) जांच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करेगा और शिकायत का समाधान पंद्रह दिवस के भीतर किया जाएगा ।

(ङ) अवधारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निपटान न होना इस अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन माना जाएगा और इस अधिनियम की धारा 27 या किसी तत्संबंधी उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(च) यदि प्रारंभिक जांच के दौरान या सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों के माध्यम से वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य सामने आते हैं, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(छ) संबंधित प्राधिकारी शिकायतकर्ता को लेखबद्ध भौतिक रूप से या डिजिटल रूप से, जांच के निष्कर्षों और निवारण के लिए किए गए उपायों के

संबंध में सूचित करेगा।

(ज) सभी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई को समीक्षा और मानीटरिंग के लिए मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखा जाएगा।

(झ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष की जाएगी; कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष की जाएगी; जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी।

(ञ) सभी अपीलें आदेश की तारीख से पैंतालीस दिवस के भीतर फाइल की जाएंगी।

(ट) सभी अपीलों के न प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर निपटान किया जाएगा।

(ठ) वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर पंद्रह दिवस के भीतर निपटान न होने वाली कोई भी शिकायत अभिहित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से स्वचालित रूप से अगले उच्चतर स्तर पर बढ़ा दी जाएगी और ऐसे सभी मामलों की इलैक्ट्रॉनिक रूप से निरंतर मानीटरी की जाएगी।

29. लोकपाल—राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी जो केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मार्ग दर्शक् सिद्धांत के अनुसार शिकायतें प्राप्त करेगा, जांच करेगा और अधिनिर्णय जारी करेगा। लोकपाल इस अधिनियम के अधीन अभिहित डिजिटल पोर्टल से समाकलित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा।

30. उल्लंघन के लिए कार्रवाई—जहां कहीं भी राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, लोकपाल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से जांच के पश्चात् इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन स्थापित होता है, तो इस अधिनियम की धारा 27 या किसी तत्संबंधी उपबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

31. वार्षिक रिपोर्टिंग—जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति जनता को भौतिक रूप में या लिखित रूप में इलैक्ट्रॉनिक रूप में, स्कीम में विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान उपलब्ध की जाएगी।

32. स्कीम से संबंधित मस्टर रोल सहित सभी लेखा और अभिलेख जनता द्वारा संवीक्षा के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएँगे कोई व्यक्ति इनकी प्रति या उसके सुसंगत अंश प्राप्त करना चाहता है तो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्यदिवस

के भीतर उसे एसी प्रतियाँ या अंश उपलब्ध कराए जाएंगे ।

33. पंचायतों की क्षमता का निर्माण और सुदृढ़ीकरण—प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा संचार डिजिटल साक्षरता और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समर्पित योजना होगी ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

1. ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड—(1) गार्हस्थ्य रजिस्ट्रीकरण—किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक गार्हस्थ्य का प्रत्येक वयस्क सदस्य, गार्हस्थ्य के रजिस्ट्रीकरण और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, उस ग्राम पंचायत को गार्हस्थ्य के नाम, आयु और पता प्रस्तुत करेगा ।

(2) विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जहां नौकरी चाहने वाला व्यक्ति—

(क) कोई अकेली महिला, या

(ख) दिव्यांग व्यक्ति, या

(ग) 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, या

(घ) कोई मुक्त बंधित श्रमिक मजदूर, या

(ङ) किसी विशेष रूप से भेद्य (असुरक्षित) जनजातीय समूह से संबंधित व्यक्ति, या

(च) कोई परालिंगी व्यक्ति।

(3) एक विशेष रंग का विशेष रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। जो कार्य, कार्य मूल्यांकन और कार्यस्थल सुविधाओं के उपबंध में, यथा लागू, विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा।

(4) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उचित जांच करने के पश्चात्, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करे, जिसमें एक विशिष्ट ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड संख्या, गर्हस्थ के पंजीकृत वयस्क सदस्यों का, उनकी तस्वीरें, बैंक या डाकघर खाता संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और यदि कोई हो तो आधार संख्या सम्मिलित हो।

(5) जारी किया गया ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड तीन साल के लिए विधिमान्य होगा, जिसके पश्चात् सम्यक् सत्यापन के पश्चात् इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

(6) निम्नलिखित में से किसी भी कारण के अलावा किसी भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को रद्द नहीं किया जाएगा—

(क) जहां यह डुप्लिकेट पाया जाता है

(ख) जहां पूरा गार्हस्थ्य ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया हो और अब गांव में निवास न करता हो; या

(ग) जहां रजिस्ट्रीकृत गार्हस्थ्य के सभी वयस्क सदस्य मृत हों

7. राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में निम्नलिखित ब्यौरो को नियमित रूप से अद्यतन करने की व्यवस्था करेगी, जिसमें अधिनियम के अधीन दी गई प्रमुख

गारंटियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, जो निम्नलिखित हैं:—

(क) दिवस की संख्या जिनमें कार्य की माग की गई है;

(ख) आवंटित कार्य दिवसों की संख्या;

(ग) मस्टर रोल संख्या सहित आवंटित कार्य का विवरण;

(घ) माप के ब्यौरे ;

(ङ) बेरोजगारी भत्ता दिया गया हो; यदि कोई है ;

(च) तारीख भुगतान की गई मजदूरी की राशि;

(छ) प्रतिकर भुगता में विलंभ, यदि कोई है;

(ज) उपबंधित आस्ति, यदि कोई है;

2. कार्य की मांग—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत गृहस्थी का ऐसा प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में है, स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा; और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत होगा और तारीख के साथ रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिए गए डिजिटल प्लेटफार्म में प्रविष्ट किया जाएगा ।

(2) राज्य दुर्बल समूहों की अपेक्षाओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगा और उन्हें कार्य प्रदान करेगा।

(3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में तथा वार्ड सदस्य को या ग्राम पंचायत को या कार्यक्रम अधिकारी को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकेगा ।

(4) कार्य के लिए आवेदन व्यष्टिक रूप से या किसी समूह के लिए किया जा सकेगा ।

(5) गृहस्थी की सकल गारंटी के अधीन रहते हुए, नियोजन के उन दिनों की संख्या जिनके लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकेगा या उसको वस्तुतः दिए गए नियोजन के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी ।

(6) साधारणतया, कार्य के लिए आवेदन कम से कम छह दिन के निरंतर कार्य के लिए होने चाहिए ।

(7) स्कीम में अग्रिम आवेदन अर्थात् ऐसा आवेदन जो उस तारीख से जिससे नियोजन की वांछा की गई है, पूर्व प्रस्तुत किया गया है, के लिए उपबंध किया जाएगा ।

(8) स्कीम में एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत करने के बारे में उपबंध किया जाएगा परंतु यह तब, जब तत्संबंधी अवधियां, जिनके लिए नियोजन की वांछा की गई है, अतिव्याप्त नहीं होती है ।

3. कार्य का आबंटन—(1) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आवेदक को स्कीम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या उस तारीख से, जिससे वह अग्रिम आवेदन की दशा में कार्य चाहता

है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, अकुशल शारीरिक कार्य प्रदान किया जाएगा ।

(2) महिलाओं को इस तरह पूर्विकता दी जाएगी कि कम से कम एक-तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है। एकल महिला और दिव्यांग व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(3) ऐसे आवेदकों को, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए उनके पते पर उनको पत्र भेजकर या संसूचना के किसी प्रभावी माध्यम से या जिला, मध्यवर्ती या ग्रामस्तर पर पंचायतों के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित कर लिखित रूप में इसके बारे में सूचित किया जाएगा ।

(4) उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें कार्य दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य स्थानों पर जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी और सूची राज्य सरकार या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

(5) जहां तक संभव हो, आवेदक को, उस ग्राम से, जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, पांच किलोमीटर के परिधि के भीतर नियोजन प्रदान किया जाएगा ।

(6) स्कीम के अधीन कोई नया कार्य आरंभ किया जा सकेगा, यदि कम से कम दस श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, परन्तु यह शर्त राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित पहाड़ी क्षेत्रों और वन रोपण संक्रमों के संबंध में नए कार्यों के लिए लागू नहीं होगी ।

(7) यदि नियोजन पैरा 3 के उपपैरा (5) में विनिर्दिष्ट ऐसी परिधि के बाहर प्रदान किया जाता है, तो यह ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवनयापन खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में, मजदूरी दर के दस प्रतिशत का संदाय किया जाएगा ।

(8) नियोजन की अवधि एक सप्ताह में छह दिन से अनधिक के साथ कम से कम निरंतर 6 दिन के लिए होगी ।

4. कार्यस्थल प्रबंधन—(1) कार्यस्थल पर कार्य में पारदर्शिता के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाएंगी—

(क) परियोजना प्रारंभ के समय बैठक होगी जिसमें कार्य के विभिन्न उपबंधों को कर्मकारों को बताया जाएगा;

(ख) मंजूर कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;

(ग) प्रत्येक कार्य के माप अभिलेख और कर्मकारों का ब्यौरा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा;

(घ) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नियमित रूप से इसे अद्यतन किया जाएगा;

(ङ) केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार, स्थापित की गई सतर्कता और मानीटरी समिति सभी कार्यों की जांच कर सकेगी और इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूपविधान में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक संपरीक्षा के दौरान ग्रामसभा को प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बालकों के लिए छाया तथा विश्राम की अवधि, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किए जा रहे कार्य से संबद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

(3) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिला के साथ पांच वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की संख्या पांच या अधिक है तो ऐसी महिला कर्मकारों में से किसी एक को ऐसे बच्चों की देखरेख करने के लिए नियुक्ति करने का उपबंध किया जाएगा। इस प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति को मजदूरी दर संदत्त होगी।

5. कल्याण—(1) यदि स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन से उद्भूत किसी दुर्घटना और उसके क्रम में कोई शारीरिक क्षति होती है, तो वह यथा अपेक्षित ऐसे चिकित्सीय उपचार का निःशुल्क हकदार होगा ।

(2) जहां क्षतिग्रस्त कर्मकार का अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक है, वहां राज्य सरकार आवास, उपचार, औषधियों और ऐसे दैनिक भत्ते के संदाय, जो मजदूरी दर के आधे से अन्यून हो, के साथ अस्पताल में भर्ती किए जाने की व्यवस्था करेगी ।

(3) यदि इस स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति की नियोजन के कारण या नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो, यथास्थिति, उसे या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अधीन हकदारी या जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के अनुसार अनुग्रह अनुदान का संदाय कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी बच्चे को दुर्घटना द्वारा शारीरिक क्षति कारित होती है जिसे स्कीम के अधीन नियोजित किया गया है, ऐसा व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा; और उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित विधिक अभिभावकों को अनुग्रह अनुदान का संदाय किया जाएगा।

6. मजदूरी संदाय—(1) यदि मस्टर रोल को बंद करने की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है, तब मजदूरी की वांछा करने वाले व्यक्ति मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद विलंब के लिए असदंत्त प्रतिदिन मजदूरी के

0.05% की दर से, प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2) उस तारीख से जिससे प्रतिकर संदेय हो जाता है, पंद्रह दिनों के पश्चात् किसी विलंब पर उसी रीति में, जो मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए है, विचार किया जाएगा ।

(3) मजदूरी संदाय के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने और विभिन्न कृत्यकारियों या अभिकरणों की सदोषता की गणना के प्रयोजन के लिए राज्य मजदूरी के अवधारण और संदाय की प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित करेगी जैसे कि—

(क) कार्य का माप;

(ख) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण;

(ग) माप का कम्प्यूटरीकरण;

(घ) मजदूरी की सूचियों का सृजन करना; और

(ङ) निधि अंतरण आदेश अपलोड करना और कृत्यकारी या अभिकरण जो कि विनिर्दिष्ट कृत्य के निर्वहन के लिए उत्तरदायी हैं, के साथ प्रक्रमवार अधिकतम समय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करना।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में, मस्टर रोल बंद होने की तारीख पर आधारित प्रतिकर संदेय की स्वचलित गणना और मजदूरी की वांछा करने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने की तारीख का उपबंध होगा ।

(5) राज्य सरकार ऊपर यथा विनिर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सम्यक् सत्यापन के पश्चात् अग्रिम रूप में प्रतिकर का संदाय करेगी और ऐसे कृत्यकारियों या अभिकरणों से, जो कि संदाय के विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं, प्रतिकर की रकम वसूल करेगी ।

(6) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रणाली प्रचालित रहें।

(7) विलम्ब के दिनों की संख्या, संदेय और वास्तविक रूप से संदत्त प्रतिकर, मानीटरी और सूचना प्रणाली में प्रतिबिंबित होगा ।

(8) अधिनियम की धारा 29 के प्रयोजनों के लिए, उप-पैरा (1) के प्रभावी कार्यान्यवन को आवश्यक माना जाएगा ।

7. मजदूरी का संदाय, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी छूट न दी जाए सुसंगत बैंकों या डाक घरों में कर्मकारों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा ।

8. स्कीम के अधीन प्रदान किए गए नियोजन की दशा में, मात्र लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

9. अभिलेख अनुरक्षण और शिकायत प्रतितोषण प्रणाली—ग्राम पंचायत, ऐसे रजिस्टर वाऊचर और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगी और रखेगी या तैयार करवाएगी और रखवाएगी जिसमें ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों और जारी की गई पासबुकों की विशिष्टियां और गृहस्थी के मुखिया तथा गृहस्थियों के वयस्क सदस्यों के नाम, आयु और पते अंतर्विष्ट होंगे।

10. (1) इस अनुसूची में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सूनामी और भूकंप की जैसी राष्ट्रीय विपत्तियों की दशा में जिसका परिणाम ग्रामीण आबादी का व्यापक विस्थापन है, इस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण गृहस्थियों के वयस्क सदस्य—

(क) रजिस्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकेंगे और अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकेंगे;

(ख) अस्थायी पुनर्स्थापन क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन कर सकेंगे; और

(ग) किसी हानि या विनाश की दशा में, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के पुनः रजिस्ट्रीकरण और पुनः जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डो के ब्यौरे जिला कार्यक्रम समन्वयक को संसूचित किए जाएंगे।

(3) सामान्य स्थिति के प्रत्यावर्तन की दशा में, इस प्रकार जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, मूल निवास स्थान पर पुनः पृष्ठांकित किया जाएगा और सुधार होने पर मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा ।

(4) उपलब्ध कराए गए नियोजन के दिनों की संख्या की गणना, प्रति गृहस्थी 125 दिनों के गारंटीकृत नियोजन की संगणना करते समय की जाएगी ।

11. प्रत्येक कर्मकार के पास, स्कीम के अधीन शिकायत प्रतितोष तंत्र के उपबंधों के अनुसार, निपटारे के लिए सभी कार्यान्वयन संबंधी स्तरों पर किसी भी शिकायत का या तो लिखित या मौखिक रूप से सुनवाई और रजिस्टर किए जाने का अवसर होगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) को निम्नलिखित पृष्ठभूमि, उद्देश्यों और कारणों के साथ पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

2. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास नीतियों ने गरीबी को दूर करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, विभिन्न वेतन रोज़गार योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और कम रोज़गार वाले ग्रामीण श्रमिकों को काम देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों से, ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर रोज़गार सृजन योजनाओं तक के दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। विकसित हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के आधार पर ग्रामीण रोज़गार सृजन योजनाओं की प्रकृति में लगातार बदलाव आया है।

3. भारत की ग्रामीण रोज़गार स्कीम कई अवस्थाओं से गुज़री हैं, जिसकी शुरुआत ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1960) और ग्रामीण रोजगार संबंधी स्कीम (1971) जैसे शुरुआती कार्यक्रम से हुई। 1980 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी शुरू किए गए, जिन्हें पश्चात् में 1993 में जवाहर रोज़गार योजना में मिला दिया गया, जिसे 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में मिला दिया गया, ताकि ग्रामीण रोज़गार की कोशिशों को आसान बनाया जा सके। खेती के कमज़ोर मौसम में काम देने के लिए 1993 में रोजगार आश्वासन स्कीम शुरू की गई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जो 1977-78 में शुरू हुआ और पश्चात् में 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तौर पर बढ़ाया गया जो सार्वजनिक कामों पर हाथ से काम करने के लिए मज़दूरी के तौर पर अनाज दिया, जिसका लक्ष्य सबसे पिछड़े ज़िलों को खाद्य सुरक्षा और रोज़गार दोनों में सुधार करना था। खास तौर पर, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977 ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को काम करने का अधिकार दिया, जो अपनी इच्छा से बिना कौशल का हाथ का काम करने को तैयार थे, इस तरह एक कानूनी अधिकार की धारणा विकसित हई ।

4. जबकि पहले की कोशिशों से ग्रामीण परिवारों को कुछ राहत मिली, लेकिन ग्रामीण भारत में बेरोज़गारी और गरीबी की बड़ी चुनौतियों के मुकाबले उनका पैमाना और संसाधन सीमित रहे। इसी पृष्ठभूमि में, 2005 में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) रोज़गार पैदा करने के लिए एक मज़बूत कार्यढ़ांचा देने के लिए लागू किया गया।

5. पिछले बीस वर्षों में, महात्मा गांधी नरेगा ने ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मज़दूरी वाला रोज़गार दिया है, जिससे मज़दूरी की आय पक्की हुई है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यापक कवरेज और बड़ी सरकारी योजनाओं के संतृप्त-उन्मुख लागू होने से ग्रामीण इलाकों में हुए बड़े सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए, इसे और मज़बूत करना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह, ग्रामीण संयोजकता, ग्रामीण आवास, बिजली, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच गहरी हुई है, कार्यबल में

विविधता आई है, और लोगों की आकांक्षाएं बेहतर आय, विकास-उन्मुख अवसंरचना, स्थायी आजीविका और ज़्यादा जलवायु लचीलेपन की ओर बढ़ी हैं।

6. बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को कवर करने वाला एक एकीकृत, संपूर्ण-सरकारी ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने के लिए मज़बूत तालमेल की ज़रूरत है। यह ज़रूरी है कि ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण टुकड़ों में काम करने के बजाय एक सुसंगत और भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण में बदले और यह भी ज़रूरी है कि देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पक्ष मापदंडों के आधार पर असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों को निष्पक्ष तरीके से वितरित किया जाए।

7. जैसे-जैसे राष्ट्रीय विकास आगे बढ़ रहा है, उभरती ज़रूरतों और आगे की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समय-समय पर बदलाव की ज़रूरत होती है। आज की अत्यधिक बदली हुई परिस्थितियों में, विकसित भारत @2047 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ज़रूरी है। विकास योजनाओं के बढ़ते दायरे से ग्रामीण परिवारों के लिए अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विकसित भारत के विज़न का समर्थन करने के लिए ग्रामीण कार्यबल को ज़्यादा प्रभावी ढंग से शामिल करना ज़रूरी है, साथ ही उन्हें बेहतर आजीविका गारंटी के ज़रिए सशक्त बनाना भी ज़रूरी है। इसलिए, सरकार ने एक उचित अधिनियम बनाकर ग्रामीण आस्ति सृजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों के लिए मज़दूरी रोज़गार गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष सौ दिनों से बढ़ाकर एक सौ पच्चीस दिन करने का संकल्प किया है।

8. प्रस्तावित विधेयक का नाम *"विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—राम जी) विधेयक, 2025"* है। इसका उद्देश्य विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ तालमेल बिठाते हुए एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। इसके अधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, ताकि एक समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज को बढ़ावा दिया जा सके।

9. प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(क) विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जोड़ना है। इसके लिए ऐसे ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल वाले शारीरिक काम करने के लिए तैयार हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई कानूनी रोज़गार गारंटी दी जाएगी, जिससे वे बढ़े हुए आजीविका सुरक्षा ढांचे में ज़्यादा प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

(ख) ग्रामीण मज़दूरों के लिए बढ़ी हुई रोज़गार गारंटी को देखते हुए, खेती के काम के लिए मज़दूरों की उपलब्धता को आसान बनाना भी ज़रूरी है, खासकर

खेती के मुख्य मौसम में। इस संदर्भ में, विधेयक में राज्यों को यह अधिकार देने का प्रावधान होगा कि वे पहले से ही कुछ समय तय कर सकें, जिसमें बुवाई और कटाई के मुख्य मौसम शामिल होंगे, जिसके दौरान इस विधेयक के अधीन संकर्मों का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

(ग) मुख्य ध्यान सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूरी कवरेज पर होगा, जिसमें ग्राम पंचायतें भागीदारी वाली योजना और उसे लागू करने के लिए मुख्य संस्थाएं होंगी, जिन्हें उचित वृत्तिक और तकनीकी क्षमता का समर्थन मिलेगा।

(घ) ग्राम पंचायतों की परिवर्तनशील आवश्यताओं को पूरा करने के लिए, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को प्रधान मंत्री गति शक्ति के साथ एकीकृत करके अभिसरण, संतृप्ति-प्रेरक योजना और संपूर्ण सरकारी प्रणाली से पारेषण को संस्थागत बनाया जाएगा, और इसे भूस्थानिक प्रणाली, डिजिटल लोक अवसंरचना, ज़िला और राज्य योजना प्रणाली से सशक्त होगी, और ऐसी योजनाओं को ब्लॉक, ज़िला, राज्य स्तर पर इकट्ठा करके विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में शामिल किया जाएगा।

(ङ) प्रत्येक राज्य सरकार, इस विधेयक के अधीन प्रस्तावित गारंटी को लागू करने के लिए, अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक स्कीम तैयार करेगी और इसे केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

(च) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य को नियमों में बताए गए वस्तुनिष्ठ पैरामीटर के आधार पर अनुमानित आदर्शी आवंटन करेगी। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित आदर्शी आवंटन से ज़्यादा खर्च की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

(छ) प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किए गए विशेष छूट की अनुमति होगी, जिससे समय पर प्रतिक्रिया और राहत के लिए उपबंधों में अस्थायी परिवर्तन किए जा सकेंगे।

(ज) इस विधान के प्रयोजन के लिए अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मज़दूरी दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। जब तक अलग दरें अधिसूचित नहीं कर दी जाती, तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अधीन अधिसूचित की गई मज़दूरी दरें मानी जाएगी ।

(झ) यदि किसी प्राप्त आवेदक को विधेयक के उपबंधों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो राज्य सरकार के लिए निर्धारित दर पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।

(ञ) केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् और राज्य ग्रामीण गारंटी परिषदों का गठन अपने-अपने क्षेत्रों में कानून के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य स्तर पर संचालन समितियों का गठन मानक आवंटन, अभिसरण और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए किया जाएगा।

(ट) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी-सक्षम योजना, मोबाइल और डैशबोर्ड-आधारित निगरानी, और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

(ठ) विधेयक के अधीन बनाई जाने वाली योजना की न्यूनतम विशेषताओं के प्रावधान विधेयक में अधिकथित किए गए हैं।

10. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली ;
13 दिसंबर, 2025

शिवराज सिंह चौहान

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 2 विधेयक में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 3 उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, विधेयक से संगत एक स्कीम अधिसूचित करेगी और उस स्कीम को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 4 विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को सभी कार्यों का मूल बनाने, उन्हें ब्लॉक, जिला और राज्य स्कीमों में समेकित करने, और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना अंबार, कार्यों के चार विषयक क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण को संकलित करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 5 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों से अन्यून की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी का उपबंध करता है और स्कीम के अधीन काम करने वाले व्यक्ति द्वारा मजदूरी की गारंटी का भी उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 6 उपबंध करता है कि अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के दौरान, जो कुल मिलाकर साठ दिनों तक चलते हैं, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा ताकि चरम कृषि मौसमों में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुकर बनाई जा सके।

विधेयक का खंड 7 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार की सिफारिश पर प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण का विनिश्चय कर सकेगी ।

विधेयक का खंड 8 उपबंध करता है कि विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक राज्य हर एक ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत मजदूरी-रोजगार प्रदान करने की स्कीम बनाएगा।

विधेयक का खंड 9 गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने के लिए शर्तों का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 10 केंद्रीय सरकार द्वारा अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी दर को अधिसूचित करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 11 रोजगार भत्ते की हकदारी के लिए उपबंध करता है, यदि राज्य सरकार द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर विहित दरों पर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता ।

विधेयक का खंड 12 केंद्रीय सरकार के लिए नियमों द्वारा केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् और उसकी संरचना, कार्यकाल और अध्यक्ष तथा गैर-शासकीय सदस्यों के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 13 राज्य सरकार के लिए नियमों द्वारा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का गठन, उसकी संरचना, अध्यक्ष तथा गैर-शासकीय सदस्यों के निबंधन

और शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 मानक आबंटन की सिफारिश करने, अंतर-मंत्रालयी अभिसरण पर सलाह देने और उच्च स्तरीय निरीक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्र स्तरीय विषय निर्वाचन समिति के गठन का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 15 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन मार्गदर्शन, समन्वयन और निगरानी प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय विषय निर्वाचन समिति के गठन का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 16 उपबंध करता है कि पंचायतें स्कीम की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरी के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्रामीण स्तर पर प्रमुख प्राधिकरण होंगी तथा उनकी संबंधित भूमिकाएं परिभाषित करता है।

विधेयक का खंड 17 जिला कार्यक्रम समन्वयक के पदनाम के लिए उपबंध करता है, समन्वयकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत जिला योजना, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, शिकायत निवारण और संकलित जिला योजना भी आती हैं।

विधेयक का खंड 18 मध्यवर्ती स्तर पर एक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति के लिए और उसके कार्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 19 गार्हस्थ्य का रजिस्ट्रीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाना, विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार किया जाना, कार्यों का आवंटन और कार्यों का निष्पादन सहित ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों और कार्यों का उपबंध करता है।

विधेयक के खंड 20 में यह उपबंध किया गया है कि ग्राम सभा कार्यों के निष्पादन की मॉनीटरिंग और समीक्षा करेगी, नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी और लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों तक उसका अभिगम होगा।

विधेयक का खंड 21 राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों को आवश्यक कर्मचारी और तकनीकी सहायता प्रदान करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 22 में यह उपबंध करता है कि यह स्कीम केंद्र प्रायोजित स्कीम होगी, इसमें निधि-साझाकरण अनुपात, राज्यवार मानक आवंटन का अवधारण और पात्र व्यय के केंद्रीय और राज्य घटकों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

विधेयक का खंड 23 पारदर्शिता और जवाबदेही, उचित निधि उपयोग के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यान्वयन अभिकरणों की जिम्मेदारियों, लेखांकन, नियमों के अनुसार मजदूरी और बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और शिकायतों के निपटान का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 24 प्रौद्योगिकी-सक्षम पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, भू-स्थानिक योजना, मोबाइल या डैशबोर्ड मॉनीटरिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र सम्मिलित हैं,का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 25 में ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध

बहुस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 26 में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से सभी स्तरों पर स्कीम की लेखापरीक्षा व्यवस्था और विहित लेखा रखरखाव का उपबंध करता है।

विधेयक के खंड 27 में विधेयक के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध है, जिसके अधीन दस हजार रुपये तक शास्ति हो सकती है।

विधेयक का खंड 28 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 29 में केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निदेश देने और शिकायतों की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो जारी की गई निधि को निलंबित करने तथा उपचारात्मक उपायों का आदेश देने की शक्ति प्रदान करने का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 30 अधिभावी प्रभाव का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 31 में केंद्रीय सरकार को अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देने का उपबंध करता है।

विधेयक के खंड 32 में विधेयक के अधीन सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले लोक सेवकों को मुकदमे, अभियोजन या विधिक कार्यवाही से छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया है।

विधेयक का खंड 33 केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन नियम बनाने उपबंध करता है और इसमें उन विशिष्ट मामलों की सूची दी गई है जिन्हें नियमों में सम्मिलित किया गया है।

विधेयक के खंड 34 में राज्य सरकार को विधेयक और केंद्रीय नियमों के अनुरूप नियम बनाने के लिए उपनबंध किया गया है और इसमें राज्य नियमों के लिए विशिष्ट मामलों की सूची दी गई है।

विधेयक का खंड 35 में संसद के समक्ष केंद्रीय नियमों और राज्य विधानमंडलों के समक्ष राज्य नियमों को रखने तथा संसदीय संशोधन या निरस्तीकरण की प्रक्रिया का उपबंध करता है।

विधेयक के खान 36 में कठिनाइयों को दूर करने का उपबंध किया गया है।

विधेयक के खंड 37 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को निर्धारित तारीख से निरस्त करने और संक्रमणकालीन उपबंधों का उपबंध है।

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक संसद् में विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन(ग्रामीण):वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को निरसित करने के लिए है ।

1. विधेयक के खंड 5 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस विधान के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन से अन्यून के गारंटीकृत नियोजन को उपलब्ध कराएगी ।

इसके लिए प्रत्येक उस राज्य में, जहां विधान का कार्यान्वयन किया जाना है, तैयार की जाने वाली स्कीम के अधीन बड़ी मात्रा में किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा होगी । इससे विधेयक के खंड 22 के अनुसरण में सामग्री संबंधी घटकों, दोनों को सम्मिलित करते हुए कार्यों के निष्पादन के संबंध में व्यय होगा ।

2. विधेयक के खंड 4 के उपखंड (5) और उपखंड (6) यह उपबंध करते हैं कि केंद्रीय सरकार ऐसे लक्ष्यित मानदंडों, विहित किए जाएं, के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार आदर्शी आबंटन का अवधारण करेगी । राज्य द्वारा अपने आदर्शी आबंटन से अधिक उपगत किसी व्यय को ऐसी रीति और ऐसी प्रक्रिया द्वारा जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा ।

3. विधेयक का खंड 10 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो स्कीम के अधीन सभी उपबंधित अकुशल शारीरिक कार्यों को लागू होगी ; विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दरों को अधिसूचित किया जा सकेगा ।

4. विधेयक के खंड 11 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए कोई आवेदक, जो किसी ग्रामीण गृहस्थी से संबंधित है, उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख या फिर अग्रिम आवेदन की दशा में, उस तारीख जिसको नियोजन की वांछा की गई है, इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो, से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर नियोजन नहीं दिया गया है, तो वह दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा ।

5. विधेयक के खंड 11 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि बेकारी भत्ता, गृहस्थी की विधिक गारंटी के अधीन रहते हुए, ऐसी दर से, जो अधिसूचना द्वारा, राज्य परिषद् के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी गृहस्थी के आवेदकों को संदत्त किया जाएगा, परंतु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के मजदूरी दर से एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक बटा दो से अन्यून नहीं होगी ।

6. विधेयक के खंड 11 का उपखंड (2घ) यह उपबंध करता है कि किसी वित्त वर्ष

के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के एक सौ पच्चीस दिन की मजदूरी के बराबर है ।

7. विधेयक का खंड 22 स्कीम की प्रकृति और वित्तपोषण के तरीके के लिए निम्नानुसार उपबंध करता है : —

(1) इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित स्कीम, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम होगी ।

(2) इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का तरीका, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालय राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के लिए 90:10 होगा, और सभी अन्य राज्यों तथा विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 60:40 होगा ।

(3) बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, केंद्रीय सरकार, स्कीम के सभी व्यय, ऐसी रीति में, जो विहित किए जाएं, वहन करेगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे वस्तुनिष्ठ मानदंड, जो विहित किए जाएं, राज्यवार मानक आबंटन अवधारित करेगी ।

(5) किसी राज्य द्वारा, उसको मानक आबंटन के आधिक्य में उपगत कोई व्यय, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति और प्रक्रिया में, जो विहित की जाए, उपगत किया जाएगा ।

(6) इस विधेयक के अधीन अवधारित राज्यवार मानक आबंटन के अनुसार, केंद्रीय सरकार के भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे,—

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारिवृंद, केंद्रीय परिषद् के प्रशासनिक व्यय, दूसरी अनुसूची के अधीन अपेक्षित प्रसुविधाओं और ऐसे अन्य मद, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

(7) इस अधिनियम के अधीन अवधारित राज्यवार मानक आबंटन के अनुसार, राज्य सरकार के भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होंगे,—

(क) इस स्कीम के अधीन नियोजित अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का संदाय ;

(ख) पहली अनुसूची के उपबंधों के अध्यधीन, कार्यों का सामग्री

घटक ;

(ग) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारिवृंद, राज्य परिषद् के प्रशासनिक व्यय, दूसरी अनुसूची के अधीन अपेक्षित प्रसुविधाओं और ऐसे अन्य मद, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सम्मिलित हैं ।

(8) राज्य सरकार, बेकारी भत्ता और विलंब प्रतिकर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के लिए व्यय का वहन करेगी ।

8. इस स्कीम के अधीन व्यय, कार्य के लिए रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, कार्य की मजदूरी दर और सामग्री तथा प्रशासनिक घटकों पर निर्भर करेगा । यदि विधान को संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जाता है तो मजदूरी सामग्री और प्रशासनिक घटकों पर प्राक्कलित वार्षिक निधियों की कुल अपेक्षा 1,51,282 करोड़ रुपए (एक करोड़ इक्यावन लाख दो सौ बयासी करोड़ रुपए) है, जिसमें राज्य का अंश भी सम्मिलित है । इसमें से प्राक्कलित केंद्रीय अंश 95,692.31 करोड़ रुपए (पन्चानवे लाख छह सौ बानवे करोड़ और इकत्तीस लाख रुपए) है ।

9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के निरसन होने पर, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को संदेय केंद्रीय रूप से लंबित दायित्वों का निपटान, वित्तीय वर्ष 2025-2026 की समाप्ति तक या विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी—जी राम जी (विकसित भारत—जी राम जी) विधेयक, 2025 के प्रवृत्त होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, किया जाना आवश्यक होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 33 का उपखंड (1), प्रस्तावित विधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2), उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्यवार मानक आबंटन ; (ख) धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन अधिक व्यय को वहन करने की रीति और प्रक्रिया तथा इसके मानदंड ; (ग) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन बैठक का गठन, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, कार्यकाल और प्रक्रिया ; (घ) धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन विस्तृत कृत्य, उत्तरदायित्व और साधन ; (ङ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय स्तरीय विषय निर्वाचन समिति के कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें ; (च) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन शिकायत का निवारण करने की रीति ; (छ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा किए जाने की रीति ; (ज) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन स्कीम के व्ययों को वहन करने की रीति ; (झ) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन राज्यवार मानक आबंटन का अवधारण करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड ; (ञ) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन अधिक व्यय को वहन करने की रीति और प्रक्रिया ; (ट) धारा 22 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मद ; (ठ) धारा 22 की उपधारा (7) के खंड (ग) के अधीन अन्य मद ; (ड) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन बेकारी भत्ता और विलंब प्रतिकर के लिए व्यय ; (ढ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन मजदूरी और बेकारी भत्तों के संदायों की रीति ; (ढ) धारा 24 के खंड (ङ) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा तंत्र और अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली का अंगीकरण ; (ण) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने की रीति ; (त) धारा 37 की उपधारा (5) के अधीन अंतरण और निहित होने की रीति ; (थ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

2. विधेयक के खंड 34 का उपखंड (1), प्रस्तावित विधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2), उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन पात्रता के निबंधन और शर्तें ; (ख) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन बैठक के निबंधन, शर्तें, समय, स्थान और प्रक्रिया तथा गणपूर्ति ; (ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन समुचित बहियों

और लेखों के अनुरक्षण की रीति ; (घ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के लेखों का प्ररूप और अनुरक्षण की रीति ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।